


राजस्थान सरकार

कार्यालय खाद्य सुरक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
क्रमांक:- एच/एफएसएसए/2011/ 469

दिनांक:- 9/08/11

:-आदेश:-

पूर्व में पीएफए एक्ट 1954 एवं नियम 1955 के तहत स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों को पेपर स्लिप जारी करने हेतु कोड आवंटित किये गये थे। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 दिनांक 05 अगस्त 2011 से प्रभावी हो गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत नमूना कार्य हेतु पूर्व में आवंटित कोड यथावत रहेंगे।



आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- एच/एफएसएसए/2011/ 469

दिनांक:- 9/08/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
- 2 राज्य अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं अति0 निदेशक (ग्रा0 स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर को पालनार्थ।
- 3 समस्त संभाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान को पालनार्थ।
- 4 समस्त खाद्य विश्लेषक, राजस्थान।
- 5 समस्त जिला अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान को पालनार्थ।
- 6 समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजस्थान।
- 7 प्रभारी, केन्द्रीय सर्वर कक्ष निदेशालय मुख्यालय।
- 8 कार्यालय प्रति।


आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।